न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 18/2021

बउनवान

1. चतुर्भुज पुत्र अमरलाल जाति मेघवाल, निवासी जाटखेडा, तहसील व जिला बारां
2. मोहनीबाई बेवा छोटूलाल जाति मेघवाल निवासी जाटखेडा, तहसील व जिला बारां

2/1. गुड्डूलाल पुत्र छोटूलाल

2/2. राहूल पुत्र छोटूलाल जातिगण मेघवाल, निवासी. जाटखेडा तहसील बारां (अपीलांट)

बनाम

1. मोहिनी बाई पत्नि धन्नालाल पुत्री कान्हा उर्फ काना जाति भील, निवासी खेडली केशो, तहसील बारां हाल चपलाडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)
2. लटूरी पत्नि छगनलाल पुत्री कान्हा उर्फ काना, जाति भील निवासी खेडली केशो तहसील बारां हाल खैरदा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
3. नट्टी पत्नि सीताराम पुत्री कान्हा उर्फ काना जाति भील निवासी खेड़ली केशो, तहसील बारां हाल मुंगेना, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0) (रेस्पोंडेंट्स)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.02.2021 बउनवान मोहनीबाई वगैरह बनाम कालूलाल वगैरह प्र.सं. 2/2017 न्यायालय तहसीलदार बारां अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0टी0ए0

उपस्थिति :– 1. श्री असलम भारती अभिभाषक (अपीलांट)

2. श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (रेस्पोडेंट्स)

निर्णय दिनांक 27.07.2022

अपीलांट द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 22.02.2021 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर बिना किसी तथ्यो, साक्ष्यों एवं कानून अनुसार विवेचन नही करके निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स की साक्ष्य भी लेखबद्ध नही किया, केवल मात्र जवाब दावें के आधार पर ही निर्णय पारित किया है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौका स्थिति रिपोर्ट नहीं मंगवाई है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर ही रेस्पोडेन्टगण का कब्जा मानकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स के पूर्वज लगभग 60 साल से अधिक समय से उक्त आराजी मे से अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है, और आज भी काबिज काश्त हैं। रेस्पोटेन्टगण के पिता को अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त की आराजी आवंटन कर दी गई है, लेकिन मौके पर आज तक भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नही रहा है और ना ही कभी उक्त आराजी को काश्त किया है। महज राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से ही रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली के तथ्यो, दस्तावेजात, शपथ पत्रों एवं साक्ष्य एवं धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी [illegible] के प्रावधानों एवं संक्षिप्त विचारण की प्रकिया विधि के विपरीत होने से म[illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में उभयपक्षकारान की मुख्य [illegible] बिना ही निर्णय पारित करने एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अवधि बाधित प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकिया विधि [illegible] भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्या[illegible]लय तहसीलदार, बारां [illegible] पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 प्रकरण संख्या 2/2017 धारा 183 (बी) आर.टी.ए. बउनवान मोहिनीबाई वगैरह बनाम कालूलाल वगैरह निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:46 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर बिना किसी तथ्यो, साक्ष्यों एवं कानून अनुसार विवेचन नही करके निर्णय पारित किया गया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर आराजीयात रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज है, लेकिन मौके पर आज तक भी रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा नही रहा है और ना ही कभी उक्त आराजी को काश्त किया है। महज राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से ही रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली के तथ्यो, दस्तावेजात, शपथ पत्रों एवं साक्ष्य एवं धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया विधि के विपरीत होने से मनमाना एवं अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 प्रकरण संख्या 2/2017 धारा 183 (बी) आर.टी.ए. बउनवान मोहिनीबाई वगैरह बनाम कालूलाल वगैरह निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने कथन किया कि रेस्पो. के पिता काना वल्द देवा के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी जमाबंदी संवत 2030–33 एवं 2034–37 में ग्राम मजरावता तह. बारां खसरा नं. 294 रकबा 9 बीघा थी। रेस्पो. के पिता काना की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी वर्तमान आराजी खसरा नं. 150 रकबा 1.50 है. रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 ता 3 के खातेदारी में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट्स के विवाह उपरान्त वे अपने ससुराल में निवास करने लग गई तथा उक्त आराजी को मुनाफा काश्त पर अपीलांटगण को बहैसियत खातेदार जुपाती थी। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आराजी खसरा नं. 150 रकबा 1.50 हैं रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय पूर्ण रूप से विधिनुरूप है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी सम्वत् 2070–73 अनुसार ग्राम मजरावता की आराजी खसरा नं. 150 रकबा 1.50 है. रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज है। अपीलांट का कथन है कि उनके पूर्वजो का 60 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त है तथा रेस्पोडेन्ट्स के पिता को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। यदि उक्त आवंटन अपीलांट गलत होना मानते है तो उन्हे सक्षम न्यायालय में आंवटन की अपील करनी चाहिए। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा है। चूकि रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि पर अपीलांट का कब्जा है तो इससे अपीलांट्स को कोई अधिकार प्राप्त नही होते, वे अतिक्रमी के रूप में विवादित भूमि पर काबिज है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पायी जाती।

Signature Not Verified

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन [illegible] खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.0[illegible] [illegible], सुनाया गया।

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर बारां (राज.)